

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937

No. 794]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/AGRAHAYANA 26, 1937

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th December, 2015

- G. S. R. 981(E).—In the English version of the notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 310(E) dated the 23rd April, 2015 (the Central Labour Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2015) published in the Gezette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 23rd April, 2015, in Schedule III, at page 15,-
 - against serial number 4 relating to Junior Administrative Grade (JAG), in column (4), omit "or"; and
 - (b) against serial number 5 relating to Senior Time Scale (STS), in column (4), omit, "or".

[No. A-39011/02/2013-CLS-I] DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th October, 2017

- G.S.R. 416.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the Central Labour Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2015, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Central Labour Service (Group 'A') Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. in the Central Labour Service (Group 'A') Recruitment Rules 2015,-
 - (a) in rule 6, in sub-rule (1), for the words "Pay band and Grade Pay or Pay Scale", the words "Level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (b) in rule 8,-
 - in clause (a), for the words and figures "grade pay in the Pay band 3 or Pay band 4", the words and figures "Level between level 10 and level 14 in the pay matrix" shall be substituted;
 - (ii) in clause (b),-
 - (i) for the words "grade pay", the words "Level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (ii) for the words "pay scale", the words "Level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (iii) in clause (c), for the words "pay scale," the words "Level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (c) for Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I [See rules 2(d), 6(1) and 7]

Name, Number and Level in the Pay Matrix of duty posts included in the various grades of the Central Labour Service (Group 'A')

S.No.	Grade and designation of the post	No. of posts*	Pay Matrix	Level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Higher Administrative Grade (HAG) [Chief Labour Commissioner (Central)]	1	Rs.1,82,200 – 2,24,100/-	15
2.	Senior Administrative Grade (SAG) — [Additional Chief Labour Commissioner (Central) or Deputy Director General (Headquarters)]	2	Rs.1,44,200-2,18,200/-	14
3.	Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade)	Ne Ne	Rs.1,18,500-2,14,100/-	13
4.	Junior Administrative Grade (JAG) [Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner (Central) or Labour Welfare Commissioner (Central) or Director (Training)]	59	Rs.78,800-2,09,200/-	12
5.	Senior Time Scale [Regional Labour Commissioner (Central) or	115	Rs. 67,700-2,08,700/-	11

	Deputy Welfare Commissioner (Central) or Deputy Labour Welfare Commissioner (Central) or Deputy Director(IR)]			
6.	Junior Time Scale [Assistant Labour Commissioner (Central) or Assistant Welfare Commissioner(Central) or Assistant Labour Welfare Commissioner (Central) or Assistant Director(IR)] (The number of posts in Junior Time Scale includes posts which are reserved for deputation, training and leave).	163	Rs. 56,100-1,77,500/-	10

^{*} Subject to variation dependent on work load.

** The number of posts in 'Non-functional Selection Grade' in Level 13 in the Pay Matrix (Rs.1,18,500-2,14,100) shall be restricted to thirty percent of senior duty posts in the cadre, that is, posts in Level 11 in the Pay Matrix Rs. 67,700-2,08,700 and above. There shall be no increase in the overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in the 'non-functional selection grade' shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

(d) for Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-III

[See rules 2(f), 7(b) and (c)]

Method of recruitment and the field of selection for appointment on promotion basis, to the duty posts included in the various grades of the Central Labour Service (Group 'A'):

Sl.No	Name of the post	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Higher Administrative Grade [Chief Labour Commissioner (Central)]	By Promotion (on selection basis), failing which by deputation (Including Short Term Contract)	Promotion: Officers in Senior Administrative Grade with three years' regular service in the grade, or officers in feeder grade with twenty-five years' regular service in Group 'A' posts, out of which at least one year's regular service should be in the Senior Administrative Grade. Deputation (Including Short Term Contract):
			From Officers under Central Government or State Government or Government of Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Statutory Bodies:
			(A) (i) holding analogous posts on regular basis;
			(ii) With three years' regular service in the Senior Administrative Grade in Level 14 in the Pay Matrix (Rs.1,44,200-2,18,200); and

			(B) possessing the following educational qualifications and experience:
	- X		Essential Qualifications:
			(i) Degree of a recognised University;
			(ii) Diploma in Social Work or Labour Welfare or Industrial Relations or Personnel Management or Labour Laws from a recognised University or Institution.
		- 2.5	Experience:
			Working experience of eighteen years in public field out of which at least five years in the field of labour laws, industrial relations, conciliations in industrial disputes and labour welfare schemes in the Central Government or State Governments and Union territories including exposure and knowledge of international labour laws.
			Note 1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
			Note 2 The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications.
2	Senior Administrative Grade [Additional Chief Labour Commissioner (Central) or Deputy Director General (Headquarters)]	By promotion (on selection basis)	Promotion: Officers in the Junior Administrative Grade with eight years' regular service in the grade including Non-Functional Selection Grade or Officers with seventeen years' regular service in the Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade).
3	Non-Functional Selection Grade (Junior Administrative Grade). Non-functional Selection Grade	By placement subject to suitability	Officers in the Junior Administrative Grade in Level 12 in the Pay Matrix (Rs.78,800-2,09,200) who have entered the 14 th Year of service as on the 1 st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the officer was appointed or recruited to Group 'A' post';
4	Junior Administrative Grade [Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner (Central) or Labour Welfare Commissioner (Central) or Director (Training)]	By promotion (on Selection basis).	Promotion: Officers in the Senior Time Scale Grade in Level 11 in the Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700) with five years' regular service in the grade.
5	Senior Time Scale	By promotion (on	Promotion:
	[Regional Labour Commissioner (Central) or Deputy Welfare	Selection basis).	Officers in the Junior Time Scale Grade in Level 10 in the Pay Matrix (Rs.56,100-1,77,500)

	Commissioner (Central) or Deputy Labour Welfare Commissioner (Central) or Deputy Director(Industrial Relations)]		with four years' regular service in the grade.
6	Junior Time Scale [Assistant Labour Commissioner (Central) or Assistant Welfare Commissioner (Central) or Assistant Labour Welfare Commissioner (Central) or Assistant Director(Industrial Relations)]	Fifty percent by direct recruitment. Fifty percent by promotion.	Promotion: Fifteen percent (of fifty percent) Promotion from Welfare Administrator in Level 7 in the Pay Matrix (Rs.44,900-1,42,400) with three years' regular service in the grade and possessing Degree from a recognized University; and eighty five percent (of fifty percent) Promotion from Labour Enforcement Officer (Central) in the Level 7 in the Pay Matrix (Rs.44,900-1,42,400) with three years' regular service in the grade and possessing Degree from a recognized University.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : Feeder grade officers holding the post of Welfare Administrator and Labour Enforcement Officer on regular basis on the date of notification of Central Labour Service (Group 'A') Rules 2007, that is, 15th May, 2008, are exempted from possessing Degree from a recognized University.

[F. No. A-12018/01/2016-CLS-I]

S. K. SINGH, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 310 (E), dated the 23rd April, 2015and subsequently amended by G.S.R. 981 (E), dated the 11th December, 2015.

ALOK Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.06 16:34:31 +05'30'

- 2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrogeology), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";
- 3. In the Schedule to the said rules,-
 - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

	"Level in pay matrix
	(4)
	Level-7
(Rs.	44,900) in the pay matrix";

- (ii) in column (10), in the Note, in item (a), in sub-item (ii), for the words and figures "the Pay Band-2, Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200 or equivalent", the words, figures and brackets "level-6 (Rs.35400) in the pay matrix" shall be substituted;
- (iii) in column (12), under the heading "Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of", in serial number 3, for the words and figures "with Grade Pay Rs.7600", the words, figures and brackets "in level-12 (Rs.78800) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. A-31012/06/2017-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 68, dated the 21st March, 2012, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(i), dated the 31st March, 2012.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 416.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 में,
 - (क) नियम 6 के उप नियम (1) में "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) नियम 8 में,-
 - (i) खंड (क) में "वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 और स्तर 14 के बीच का स्तर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) खंड (ख) में,-
 - (i) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैटिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
 - (iii) खंड (ग) में "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) अनुसूची-। के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची-।

[नियम 2(घ) 6(1) और नियम 7 देखिए]

केन्द्रीय थम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों का नाम, संख्या तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर

क्र.सं.	श्रेणी और पदाभिधान	पदों की संख्या*	वेतन मैट्रिक्स	लेबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)]	1	1,82,200-2,24,100 रुपये	15
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) [अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप महानिदेशक (मुख्यालय)]	2	1,44,200-2,18,200 रुपये	14
3	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एनएफएसजी)	**	1,18,500-2,14,100 रुपये	13
4	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) [उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंन्द्रीय) या कल्याण आयुक्त (केंन्द्रीय) या श्रम कल्याण आयुक्त (केंन्द्रीय) या निदेशक (प्रशिक्षण)]	59	78,800- 2,09,200 रुपये	12
5	ज्येष्ठ काल-वेतनमान (एसटीएस) [प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप कल्याण आयुक्त(केन्द्रीय) या उप कल्याण श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप निदेशक (आई आर)]	115	67,700- 2,08,700 रुपये	11
6	किनष्ट काल-वेतनमान (जेटीएस) [सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक निवेशक (आई आर] (जेटीएस में दिखाए गए पदों में प्रतिनियुक्ति , प्रशिक्षण और छुटियों के लिए आरक्षित पद भी सम्मिलित है)	163	56,100- 1,77,500 रुपये	10

^{*}कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

^{**} वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (1,18,500-2,14,100 रुपये) में 'अकृत्यिक चयन श्रेणी' में पदों की संख्या को ज्येष्ठ ड्यटी पदों अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपये) और उससे उपर के पदों की श्रेणी में 30 प्रतिशत तक निर्वन्धित किया जायेगा। काडर की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और 'अकृत्यिक चयन श्रेणी' में प्रवर्तित पदों की संख्या किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(घ) अनुसूची-III के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

अनुसूची-III

[नियम 2 (च) और नियम 7 (ख) तथा नियम (ग) देखिए]

केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित डयूटी पदों पर प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अईक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)]	प्रोन्नति द्वारा (चयन के आधार पर) जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नतिः ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है यह फीडर ग्रेड के ऐसे अधिकार जिन्होंनें उस सेवा के समूह 'क' में 25 वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा एसएजी में हो। प्रतिनियुक्तिः (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या कानूर्न निकायों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है या (ii)जिन्होंनें वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) में एस ए जी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताए और अनुभव
			हों:
			आवश्यक अर्हताएँ:
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री;
			(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रंवधन या श्रम विधि में डिप्लोमा।
			अनुभव: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, आदि के सार्वजनिक क्षेत्र में 18 वर्ष का कार्यकरण का अनुभव जिसमें से श्रम विधियों या औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में औद्योगिक विवाद समाधानों और श्रम कल्याण स्कीमों में जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय श्रम विधियों के पहलू और उसका ज्ञान भी है, कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
			टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) [अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप महानिदेशक (मुख्यालय)]	प्रोन्नति द्धारा (चयन के आधार पर)	प्रोन्नति: जेएजी के ऐसे अधिकारी जिन्होने उस श्रेणी में जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी भी है, आठ वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे अधिकारी, जिन्होनें सेवा के समूह 'क' पदों पर सत्रह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा जेएजी में हो (जिसके अंतर्गत जेएजी की अकृत्यिक श्रेणी में की गई सेवा भी है)।
3	एनएफएसजी (जेएजी) अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	उपयुक्ता के अधीन रहते हुए स्थानन द्धारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की, जिसकी समूह 'क' पद पर नियुक्ति या भर्ती की गई थी, नियमित आधार पर चयन के वर्ष से संगणित उस वर्ष की 1 जनवरी को सेवा की 14 वर्ष में प्रवेश कर लिए है।
4	किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)। [उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या निदेशक (प्रशिक्षण)	प्रोन्नति द्धारा (चयन के आधार पर)	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,200-2,08,700 रुपये) में ज्येष्ठ काल वेतनमान (एसटीएस) श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।
5	ज्येष्ठ काल-वेतनमान (एसटीएस) [प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या उप निदेशक (औद्योगिक संबंध]	प्रोन्नति द्धारा (चयन के आधार पर)	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500रुपये) में कनिष्ठ काल-वेतनमान (जेटीएस) श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
6	किनष्ठ काल- वेतनमान(जेटीएस)। [सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक निदेशक (औद्योगिक संबंध)	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्धारा। 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्धारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400रुपये) में ऐसे कल्याण प्रशासक में से 15 प्रतिशत (50 प्रतिशत) प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री है; और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400रुपये) में ऐसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) में से 85 प्रतिशत (50 प्रतिशत) प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री है।

टिप्पणी 1: ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंनें ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पणी 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह क) नियम, 2007 की अधिसूचना की तारीख को अर्थात् 15.05.2008 को नियमित आधार पर कल्याण प्रशासक और श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं उन्हें किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. ए-12018/01/2016-सीएलएस-I]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि 310 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा. का. नि. 981 (अ), तारीख 11 दिसंबर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया।